112A
851
28/7/20

।। कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, बद्रीनाथ वन प्रभाग,गोपेश्वर।।

Email-dfo_badrinath_uta@yahoo.co.in Phone no-01372–252175

पत्रांक 288 / 12–1 ,गोपेश्वर, दिनांक 20/07/ 2019।

सेवामें,

अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, कर्णप्रयाग।

विषयः– जनपद चमोली के अन्तर्गत बगोली-कोटी मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.219 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

संदर्भः– **भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून के पत्र सं0 08बी / यू0सी0पी0 / 06 / 109 / 2016 / एफ0सी0 / 122 दिनांक 19.05.2020**

महोदय,

उपरोक्त विषयक प्रकरण में भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, देहरादून के संदर्भित पत्र से सैद्वान्तिक स्वीकृति प्रदान की गयी है। सैद्वान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तो के अनुसार मांग पत्र निम्नानुसार प्रेषित की जा रही हैः–

1. शर्त सं0 01 के अनुसार वन भूमि की विधिक स्थिति अपरिवर्तित रहेगी।
2. शर्त सं0 2 के अनुसार परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौपे जाने के बाद ही वन भूमि सौपी जायेगी।
3. शर्त सं0 03 के अनुसार प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा 4.44 है0 गैर वानिकी भूमि ग्राम नौली बंजर भीटा सिविल खसरा नं0 02 में प्रतिपूरक वनीकरण हेतु वित्तीय वर्ष 2020–21 की दर 337184.00प्रति है0 से कुल धनराशि रू0 14,97,097.00 जमा की जायेगी।
4. (क) शर्त सं0–5 के अनुसार प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रत्यार्वित वन भूमि के लिए शुद्व वर्तमान मूल्य(एन0पी0वी0) की धनराशि रू0 18,75,055.00(रू0 अठ्ठारह लाख पिचौत्तर हजार पचपन) मात्र की धनराशि जमा की जायेगी।
   (ख) प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा एन0पी0वी0 की धनराशि में यदि बढ़ोतरी होती है तो प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा बढ़ी हुई दर से धनराशि जमा किए जाने का वचनबद्वता प्रमाण पत्र का एक शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।
5. शर्त सं0 8 परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धनराशि केवल ई–पोर्टल (https://pravesh-nic-in/) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबन्धन और योजना प्राधिकरण फण्ड में स्थानान्तरित / जमा किए जायेगें।

अतः उपरोक्त धनराशि रू0 33,72,152.00 (रू0 तेतीस लाख बहत्तर हजार एक सौ बावन) मात्र की धनराशि जमा करते हुए सैद्वान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित समस्त शर्तो की अनुपालन आख्या की चार–चार मूल प्रतियो में इस कार्यालय को उपलब्ध कराते हुए ऑनलाईन पोर्टल (https://pravesh-nic-in/) पर अपलोड भी करे।

भवदीय,

(अमित कंवर)
प्रभागीय वनाधिकारी,
बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर।

पत्रांक / , दिनांकित।

प्रतिलिपिः– अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण इन्दिरानगर, फॉरेस्ट कॉलोनी देहरादून को उपरोक्त संदर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(अमित कंवर)
प्रभागीयवनाधिकारी,
बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर।

LAC/ आवश्यक कार्यवाही हेतु
28/7/20
25/7/2020